



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 14.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियाँ दी गईं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 14.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व रमजान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा होली त्यौहार व जुमा की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत कर्वी शहर के पुरानी कोतवाली, तरौहा, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद एवं काली देवी चौराहा आदि क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की चेकिंग की गयी तथा ड्यूटी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की शान्ति एवं सौहार्द्रपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाए।

निरीक्षण के दौरान इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 14.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में होली त्यौहार व जुमा की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराए जाने एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्र के काली देवी चौराहा, कजियाना मोहल्ला, उतारखाना, भरतपुरी, लक्ष्मणपुरी, तरौहा एवं मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से तिगलिया तिराहा कस्बा मानिकपुर में छापेमारी करते हुये 02 अभियुक्तों को 09 लीटर ब्रांडेड अंग्रेजी शराब व ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कैलाश जायसवाल पुत्र सालिकराम जायसवाल निवासी ग्राम जुही थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज
2. अंकित यादव पुत्र रामनोरथ यादव निवासी बीरवल थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त का विवरण-

1. रवि यादव पुत्र कोचराम यादव निवासी बीरवल थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि 13.03.2025 को सायं मुखबीर खास द्वारा सूचना दी गयी की तिगलिया तिराहा कस्बा मानिकपुर में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब बनाकर पैकिंग करके ठेके व आसपास के क्षेत्र में चोरी से बेच रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना मानिकपुर की पुलिस टीम व पहले से कस्बा मानिकपुर में मौजूद आबकारी निरीक्षक की टीम के साथ घर के अन्दर चेक किया गया, तो एक व्यक्ति अंकित यादव मौजूद मिला। अंकित यादव पूछताछ में बताया कि यह कार्य कैलाश जायसवाल व रवि यादव करते और बेचते है। अंकित यादव को साथ लेकर दोनों ठेको पर जाकर सेल्स मैन को देखा गया तो कैलाश जायसवाल मिला और रवि यादव बाहर आकर भीड़ के कारण हट गये। जिन्हे पुनः उसी स्थान पर मकान मे लाया गया, जिसमें अभियुक्तगण की निशा देही पर भारी मात्रा में बिसलरी की प्लास्टिक की बोतल एक लीटर 02 अदद, किनले प्लास्टिक की बोतल एक लीटर की 02 अदद, 05 लीटर की प्लास्टिक की हरे कलर की बोतल जिसमें तरल पदार्थ शराब भरा हुआ है। 66 अदद बार कोड स्टीकर सफेद रंग का जिसमें काले अक्षर से बार कोड/क्यूआर कोड अंकित है। ढक्कन प्लास्टिक खाकी व हरा रंग का जिस पर नं0 1 लिखा है। 43 अदद ढक्कन प्लास्टिक नीला कलर जिसपर अंग्रेजी में इम्पिरियल ब्लू लिखा है। 53 अदद ढक्कन काला कलर धातु का जिस पर MOHAN MECAKIL कुल 72 अदद, ढक्कन प्लास्टिक कत्था कलर जिसमें अंग्रेजी में रायल स्टेज लिखा हुआ है। कुल 41 अदद ढक्कन प्लास्टिक कलर जिस पर अंग्रेजी में ब्लंडर प्राइज लिखा है। कुल 05 अदद ढक्कन प्लास्टिक

लाल कलर जिस पर अंग्रेजी में PERNOL लिखा है। 25 अदद ढक्कन प्लास्टिक नीला कलर PERNOL लिखा है। कुल 39 अदद ढक्कन प्लास्टिक पीला कलर जिसपर अंग्रेजी में MD लिखा है। कुल 27 अदद खाली कांच का अर्ध्धा बोटल जिस पर रायल स्टेज लिखा है। 30 अदद काली बोटल कांच की जिस पर इम्पिरियल ब्लू लिखा है। कुल 09 अदद खाली बोटल कांच की जिस पर 8 PM लिखा है बरामद हुआ जिसके आधार पर थाना मानिकपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 32/25 धारा 336/337/318/319 बीएनएस व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग विरुद्ध कैलाश जायसवाल व अंकित यादव पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 09 लीटर अंग्रेजी शराब
2. शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह
2. अपराध निरी0 श्री विनय विक्रम सिंह
4. उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह
5. उ0नि0 श्री कुवंर प्रखर सिंह
6. आरक्षी भाष्कर शुक्ला
7. आरक्षी गजेन्द्र सिंह
8. महिला आरक्षी शिवानी सिंह

गिरफ्तारी करने वाली आबकारी पुलिस टीम-

1. आ0नि0 श्री रविशंकर गुप्ता
2. आ0आरक्षी दुष्यन्त कुमार
3. आरक्षी नईम खान

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

चित्रकूट पुलिस ने 14 अभियुक्तों से 85 लीटर अवैध कच्ची शराब व 152 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट चित्रकूट पुलिस ने 14 अभियुक्तों को 85 लीटर अवैध कच्ची शराब व 152 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i) उ0नि0 श्री रमेश सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही व उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त दिलीप पुत्र शिवप्रसाद निवासी लोधन टिकुरा जनपद सतना म0प्र0 को 20 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त बृजमोहन पुत्र ललित मोहन निवासी वार्ड 12 रजोला थाना चित्रकूट जनपद सतना म0प्र0 को 25 क्वार्टर मस्तीहू गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

- (ii). 30नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह द्वारा अभियुक्त रामलाल पुत्र नरेश कुमार निवासी पुरवा तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (iii). 30नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्त संतोष पुत्र बाबूलाल निवासी सिराहा पुरवा मजरा कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । व अभियुक्त दीपक पुत्र अवधराज निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (iv). 30नि0 श्री इंदल कुमार थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामचरण निवासी सिराहा पुरवा मजरा कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (v). 30नि0 श्री श्यामदेव सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त भूरा सोनकर पुत्र रामऔतार निवासी छोटा खटकाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (vi). 30नि0 श्री इन्द्रजीत गोतम थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त शेरा पुत्र साविरउद्दीन निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (vii). 30नि0 श्री किशन कुमार थाना कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्ता विमला पत्नी घनश्याम निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 23 क्वार्टर अवैध मस्तीहू गोल्ड शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (viii). 30नि0 श्री अरमान आलम थाना पहाड़ी मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त इस्लाम पुत्र सदन खां निवासी गद्दीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 16 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (ix). 30नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त दयाशंकर पुत्र शिवनायक निवासी क्योटरा बाबाघाट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (x). 30नि0 श्री अनुराग सिंह थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त अखिलेश पुत्र गोविन्द कुमार निवासी आजाद पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- (xi). 30नि0 श्री रामप्रीत सिंह थाना रैपुरा मय हमराह आरक्षी द्वारा अभियुक्त राजबहादुर पुत्र गणेश निवासी लौढिया माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xii). मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र पन्ना निवासी मऊ गुर्दरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 21 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(xiii). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह प्रभारी चौकी गनीवा थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त दीप कुमार उर्फ बबलू गौतम पुत्र कमल कुमार निवासी ग्राम सालिगपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 35 अदद अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।